न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती कुसुमलता चौहान, (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 77 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 सनाराम पुत्र धीसाराम जाति मेघवाल नि0 गुडा श्यामा, तहसील सोजत जिला पाली	1.	राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, पाली
	2	राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

उपस्थित:–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 06/03/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुडा कलां, प0ह0 गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा संख्या 327 रकबा 0.2400 हैक्टर में पंहुचने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा नंबर 1346/328 रकबा 26.2400 हैक्टर भूमि में से नया मार्ग अपनी खातेदारी खसरा नंबर 327 में जाने हेतु आशय रखते है, इसलिए प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत आवेदन किया है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 327 तक आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1346/328 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा संख्या 327 तक पहुंचने के लिये अप्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा संख्या 1346/328 भूमि में से आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, गाड़ी, छकड़ा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 327 में ग्राम गुडा कलां की खसरा संख्या 1346/328 में से होते हुये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में अ, ब, स, द, से दर्शित भूमि, जो कि सरकारी राजकीय सिवाय चक भूमि में से रास्ते के उपयोग व उपभोग हेतु कदीमी से आवागमन करता आ रहा है। तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शा अलग से बना कर प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी की भूमि को आसमानी रंग से दर्शाया है तथा राजकीय सिवाय चक भूमि को लाल रंग से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

[illegible] है उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि अ ब स द से दर्शाया है। इस प्रकार [illegible] मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 [illegible] मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी [illegible] खसरा संख्या 327 रकबा 0.2400 [illegible] हेतु सरकारी [illegible] भूमि सरहद मौजा [illegible] में स्थित भूमि के खसरा संख्या 1346/328 रकबा 26.2400 हैक्टर में से [illegible] पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अ ब स द से दर्शित 20 फुट [illegible] उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने की इस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व पार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत [illegible] जबाब पार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रेरा संख्या में वर्णित भूमि सरहद [illegible] गुडाकला मे स्थित है। अन्य पैराज प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे एवं अन्य पेरान [illegible] है। तहसीलदार सोजत को हस्तगत प्रकरण में वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जांच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर [illegible] किया है कि तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुडा कलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा संख्या 677 गै.मु. सडक है जो मौके पर डामरीकरण से बनी हुई है, उक्त सड़क से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु ए से बी बिन्दू जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है, मौके पर रास्ता है, जो चालू है। ए से बी बिन्दू जो प्रस्तावित रास्ता है वो प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र नजदीकी रास्ता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ए से बी बिन्दू जो नजरी नक्शे में रास्ता दर्शित किया हुआ है, उस पर कोई विवाद या अतिक्रमण नहीं है। खाली है। ए से बी बिन्दू जो लाल स्याही से दर्शित है कि लम्बाई 750 मीटर है। ए से बी जो लाल स्याही से दर्शित है, बी बिन्दु से आगे आम रास्ता राजस्व ग्राम खाखरा तक जाता है, जो मौके पर आम रास्ता चालू है व आवागमन इसी रास्ते से होता है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 1346/328 रकबा 26.2400 है0 में से (750×6 = 0.4500 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 196466/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (196466/- रू0 × 2 × 0.4500 है0 = 176820/- रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1346/328 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुडा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

दर्शाया है तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि अ. ब. स. द से दर्शाया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गुडा कला के खसरा संख्या 327 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि मे आवागमन हेतु सरकारी राजकीय सिवाय चक भूमि सरहद मौजा गुडा कला मे स्थित भूमि के खसरा संख्या 1346/328 रकबा 26.2400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अ. ब. स. द से दर्शित 20 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवं उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रेरा संख्या में वर्णित भूमि सरहद मौजा गुडाकंला में स्थित है। अन्य पैराज प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे एवं अन्य पेरान कानूनी है। तहसीलदार सोजत को हस्तगत प्रकरण में वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जाच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुडा कलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि खसरा संख्या 677 गै.मु. सड़क है जो मौके पर डामरीकरण से बनी हुई है, उक्त सड़क से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु ए से बी बिन्दू जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है, मौके पर रास्ता है, जो चालू है। ए से बी बिन्दू जो प्रस्तावित रास्ता है वो प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र नजदीकी रास्ता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ए से बी बिन्दू जो नजरी नक्शे में रास्ता दर्शित किया हुआ है, उस पर कोई विवाद या अतिक्रमण नहीं है। खाली है। ए से बी बिन्दू जो लाल स्याही से दर्शित है कि लम्बाई 750 मीटर है। ए से बी जो लाल स्याही से दर्शित है, बी बिन्दु से आगे आम रास्ता राजस्व ग्राम खाखरा तक जाता है, जो मौके पर आम रास्ता चालू है व आवागमन इसी रास्ते से होता है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 1346/328 रकबा 26.2400 है0 में से (750×3 = 0.2250 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 196466/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (196466/– रू0 × 2 × 0.2250 है0 = 88409/– रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1346/328 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुडा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 327 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सिवाय चक खसरा संख्या 1346/328 में से दिलवाकर राजस्व रेकर्ड मे तरमीम किये जाने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1 यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुडा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज सिवाय चक भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1346/328 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा कलां, प0ह0 गुड़ा कलां, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 327 रकबा 0.2400 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज सिवाय चक भूमि ख0न0 1346/328 की कृषि भूमि में से (196466/- रू0 × 2 × 0.2250 है0 = 88409/- रूपये) प्रतिकर देय राशि का भुगतान तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित मार्ग A TO B अनुसार अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जावे एवं इनकी प्रति तहसीलदार सोजत को भेजी जाकर पालना करवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर अभिलेख भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 26/04/2017 को मेरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली